प्रकरण सं0 – 21/2017/प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 14.02.2017	तारीख फैसला 20.04.2017

उनवान

हजारी पिता हुक्मा रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां

– प्रार्थी

बनाम

1– हरि पिता नाथू रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
2– रामचन्द्र पिता सुवा रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
3– कैलाश पिता हेमा रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
4– लादु पिता पेमा रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां

– विपक्षीगण

5–7 गोपाल, रामस्वरूप, घीसू पिता राजू रेगर निवासी फूलियाकलां
8– मु0 लादी बेवा राजू रेगर निवासी फूलियाकलां
9–11 राजु,नन्दा,मदन पिता लादु नाबालिग जरिये प्राकृति संरक्षिका माता मांगी रेगर निवासी फूलियाकलां
12– मु0 मांगी बेवा लादु रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां

–– आवश्यक पक्षकारान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री विजय पाराशर : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 302 आ0न0 218 रकबा 0.16 है0, आ0न0 219 रकबा 0.13 है0 कुल किता 02 रकबा 0.29 है0 स्थित है। प्रार्थी की पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की

a

जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम फूलियाकलां पटवार मण्डल फूलियाकलां संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 302 कुल किता 2 रकबा 0.29 है0 का प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :—

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 302 आ0न0 218 रकबा 0.16 है0, आ0न0 219 रकबा 0.13 है0 कुल किता 02 रकबा 0.29 है0 प्रार्थी के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 100/— (अक्षरे एक सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

sd

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला—भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

sd

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला—भीलवाड़ा